लय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
66/16	23.5.16	20-10-21

:–उनवान:–

1. मुरली पुत्र श्री गुरदयाल जाति अहीर निवासी झुण्डसहाय तहसील एवं जिला गुडगांव हरियाना। :–वादी:–

बनाम

1. सुरेशचन्द पुत्र श्री छीतरमल
2. बाबूलाल पुत्र श्री छीतरमल
3. गौरीशंकर पुत्र श्री छीतरमल
4. मीना देवी बैवा मदनलाल
5. मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल
6. दिनेश कुमार पुत्र मदनलाल
7. कुसुमलता पुत्री मदनलाल
8. सीमाकुमारी पुत्री मदनलाल
9. महेश पुत्र बाबूलाल
10. महेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति प्रजापत निवासीयान ग्राम हुसैनपुर तहसील किशनगढबास
11. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार तहसील किशनगढबास

:– प्रतिवादीगण:–

(दावा 53,88,89 वो 188 आर.टी.एक्ट)

उपस्थिति:–

1.श्री रतीराम चौधरी एड0 वकील वादी की ओर से।

2.प्रतिवादीगण नं01लगा010 की ओर से एक पक्षीय प्रतिवादी 011

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार हैः

राजस्व ग्राम हुसैपुर तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी ख0न0 509 रकबा 0.3500, 509/710 रकबा 0.3400 किता वो कब्जा काश्त की आराजी है। जो आराजी वाद वादी में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबंदी संवत 2071 संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजीयात में 1/4 भाग प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी का एवं 1/4भाग प्रतिवादीगण सं0 4 लगा0 8 सम्भाग के मालिक खातेदारान दर्ज रिकार्ड पटवार है। प्रतिवादी नं0 1 सुरेशचंन्द ने अपने भाग 1/4 भाग को अपनी स्वेच्छा से अपने पारिवारिक हित, लाभ, हेतु बाजाब्ता बाकायदा प्रतिवादी नं0 1 ने वादी से प्रतिफल राशि 3,79,500 रूपये प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उक्त बयनामा क्रमांक 2146 दिनांक 20.11.2015 को उप-पंजीयक महोदय, किशनगढबास के समक्ष पंजिकृत करा कब्जा आराजी पर वादी को बरौज विक्रय पत्र दिया हुआ है जिस 1/4 भाग को बहैसियत खरीददार जोत-बहा काश्त करता आ रहा है। मिन वादी आराजी मुतनाजा का बौनाफाईड पर्चेचर विद कन्सीडेरान विद पजेशन बरौज खरीद से काविज वो दखील चला आ रहा है। एवं प्रतिवादी नं0 1 को जो हक खातेदारी आराजी के 1/4 भाग पर हासिल थे बाद बैचान वो समस्त हक हुकक वादी को प्राप्त हो चुके है। अतः वादी के हक में जरियें विक्रयपत्र क्रमांक 2146 दिनांक 20.11.2015 के नामांतकरण खातेदारी दर्ज कराया जाकर खातेदार दर्ज कराने की घोषणा की जावें। अतः दावा इश्तकरारहक दायर किया जा रहा है। प्रतिवादी नं01 सुरेशचन्द द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपना 1/4 भाग का बेंचान बाकब्जा वादी को कब्जा आराजी परिवादी को दिया हुआ है । प्रति0 नं0 1 को कोई हक-हकुक आराजी मुतनाजा में शेष नही रहे है। किन्तु बयनामा दिनांक 20.11.15 के आधार पर नामांतकरण खातेदारी दर्ज नही होने के कारण राजस्व पत्राधि में प्रतिवादी न01 का भी नाम दर्ज हो रहा है। इसलिये वादी बयनामा के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 के नाम को हजफ करा अपने नाम की घोषणा खातेदारी करांकर राजस्व पत्राधि में अपने क्रय शुद्वा रकबा 1/4 भाग पर खातेदार दर्ज करा पाने का मुश्तहैक है।

प्रतिवादीगण 1 लगा0 10 आपस में एक ही परिवार वो खानदान के लोग है, जो आपस में किल्लत वो साजबाज होकर वादी के हकुक आराजी समाप्त करने की नियत से वादी को बेदखल कर कब्जा काश्त वादी में आये दिन मजाहमत वो मदाखलत पैदा करते है। एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी कर वादी को बेजा रूप से तंग परेशान किया हुआ है दिनांक 12.5.16 कौ वादी को लाठी के जौर से वेदखल करने की धमकी दी है।जबकी वादी आराजी मुतनााजा के 1/4 भाग पर विधिक रूप से बयनामा आराजी कराकर काविज चला आ रहाहै।यदि प्रतिवादीगण ने अपनी नापाक चेष्टा में सफलता प्राप्त कर ली तो वादी का अजहद हानि होगी । अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अरथाई निषेदाज्ञा प्राप्त कर पावन्द करा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि बाद जांच वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावेः-

अ-वादी आराजी ख0न0 हॉल 509, 509/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास का खरीददार खातेदार काविज काश्त वो दखिल है एवं बयनामा क्रमांक 2146 दिनांक 20.11.2015 वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से विधिक रूप से पंजीकृत करा कब्जा आराजी पर प्राप्त किया हुआ है। अतः वादी बयनामा के आधार पर नामा0 खातेदारी दर्ज करा अपने नाम का अंकन दर्ज कराने का अधिकारी है।

ब- डिक्री तकासमा 1/4 भाग मुताबिक मौका कब्जा वादी के हक में पारित की जाकर खाता अलहदा से कायम कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो ख0न0 हॉल 509, 9/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास से ना तो दी वो बेदखल करें, ना कृषि कार्य मे बाधा पैदा करे, ना हकूक वादी समाप्त करें, दौराने वाद रिकार्ड, मौका की यथावत स्थिति कायम रखें। द–खर्चा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे दीगर दादरसी जो मुनासिब समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए के प्रति एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा प्रतिवादी 11 ने दावे को स्वीकारते हुए जवाब दिया कि भू–राजस्व रिकार्ड मे कम से कम खसरे तोडते हुए तकासमा किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। वादी साक्ष्य पी.डब्लू. 01 स्वयं का शपथ पत्र एवं पीडब्लू–02 रविन्द कुमार का पेश किया। साक्ष्य कलमबद्व काराई गई एवं दस्तावेजात प्रदर्श काराये गये। जिसमें प्रदर्श–1ए असलबयनामा की फोटो कोपी, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2071–74 पेश किये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई वकील वादी मे दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादी आराजी ख0न0 हॉल 509, 509/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास का खरीददार खातेदार काबिज काश्त वो दखिल है एवं बयनामा क्रमांक 2146 दिनांक 20.11.2015 वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से विधिक रूप से पंजीकृत करा कब्जा आराजी पर प्राप्त किया हुआ है। अतः वादी बयनामा के आधार पर नामा0 खातेदारी दर्ज करा अपने नाम का अंकन दर्ज कराने का अधिकारी है।एवं जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो ख0न0 हॉल 509, 509/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास से ना तो वादी वो बेदखल करें, ना कृषि कार्य में बाधा पैदा करे, ना हकूक वादी समाप्त करें, दौराने वाद रिकार्ड, मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं जमाबंदीयात से साबित होता है कि वादी आराजी ख0न0 हॉल 509, 509/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास का खरीददार खातेदार काबिज काश्त वो दखिल है एवं बयनामा क्रमांक 2146 दिनांक 20.11.2015 वादी ने प्रतिवादी नं0 1 से विधिक रूप से पंजीकृत करा कब्जा आराजी पर प्राप्त किया हुआ है। अतः वादी को बयनामा के आधार पर नामा0 खातेदारी दर्ज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादी आराजी ख0न0 हॉल 509, 509/710 रकबा 0.6900 हे0 के 1/4 भाग वाके ग्राम हुसैपुर तह0 किशनगढबास का खरीददार खातेदार काबिज काश्तकार घौषित किया जाता है।तथा राजस्व रिकार्ड में जो अमल प्रतिवादी नं0 1 के नाम का अंकन हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादी को बयनामा के आधार पर नामातकरण खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये हु0इ0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मैदाखलत पैदा ना करे। खर्चा वादी स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)